राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :– 30/2024
(अपील संख्या :– 2491/2024)

अनुराग यादव **–प्रार्थी/अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर।

–अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.09.2024
आदेश की दिनांक : 09.10.2024

उपस्थित –
प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक
अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2491/2024 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.08.2024 पर पुनर्विचार करते हुये अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2491/2024 दिनांक 05.08.2024 को प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 29.08.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> *"प्रकरण के तथ्यों एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ने दिनेश राय भाटी से प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2023 में अंकित तथ्यों की जांच हेतु जिला कलक्टर दूदू को प्रेषित करने पर जिला कलक्टर, दूदू ने अति० जिला कलक्टर, दूदू को जाचं अधिकारी नियुक्त किया गया।*

अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा जांच की जाकर जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी के दोषी पाया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अभिशंषा करते हुए जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित की गई। जिला कलक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की गई। राज्य सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 25.06.2024 द्वारा निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर को अपीलार्थी के जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर निलम्बित करने एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित करने की कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिये गये, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी को सीसीए नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश दिनांक 25.06.2024 द्वारा सक्षम अधिकारी ने नियमानुसार निलम्बित कर अपीलार्थी द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही को किसी प्रकार से प्रभावित न कर सके, को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है, इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भाविना एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।''

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि माननीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.08.2024 में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार होने से रह गया है, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है :–

1. यह है कि अपीलार्थी का निलंबन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, परंतु उसके द्वारा स्वयं के विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। निलंबन आदेश राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तुरंत प्रभाव से निलंबित किये जाने की अनुशंषा की गई थी, के आधार पर निलंबन आदेश जारी किया गया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने अनेक विनिश्चय में यह माना है कि यदि अनुशासनात्मक अधिकारी/सक्षम अधिकारी सीसीए नियमों के तहत निलंबन आज्ञा जारी करते समय स्वविवेक का इस्तेमाल न करके किसी अन्य की अनुशंषा के आधार पर निलंबन आदेश जारी करता है तो ऐसा आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है। इसी प्रकार एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6490/2023 रमेश चंद मीणा बनाम राजस्व विभाग में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने सक्षम अधिकारी के स्वयं के मस्तिष्क का इस्तेमाल किये बिना जारी किये गये निलंबन आदेश को विधि विरूद्ध मानते हुये स्थगन आदेश जारी किया गया। एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9361/2023 रामकुमार बनाम राजस्व विभाग में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में यह माना है कि अन्य अधिकारी की अनुशंषा पर यदि कोई निलंबन आदेश पारित किया गया है तो ऐसा आदेश बिना

मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया जाना माना जायेगा। वर्तमान प्रकरण में भी अपीलार्थी को तत्काल निलंबित कर इनका मुख्यालय अजमेर किये जाने के आदेश आज ही प्रसारित करवाने का श्रम करावें। उक्त रिट में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्ताव महाधिवक्ता से महाधिवक्ता के रूप में सुनने के उपरांत ही राजस्व मंडल द्वारा जारी निलंबन आदेश दिनांक 06.06.2023 को स्थगित किया था।

2. यह है कि अधिकरण ने अपील संख्या 2006/2023 जगदीश कुमार सिंधी बनाम राजस्व विभाग में समान आधार पर निलंबन आदेश को स्थगित किया है और अन्य अधिकारी की अभिशंषा पर किये गये निलंबन आदेश को बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये माना है।

3. यह है कि अपीलार्थी को जिसके आधार पर निलंबित किया गया है, उसके संबंध में न तो आरोप पत्र दिये जाने का अंकन किया गया और न उसे आरोप पत्र सीसीए 16 व 17 में दिया गया और न ही आरोप पत्र देने का अंतिम निर्णय लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10010/2020 योगेश आचार्य बनाम स्वायत्त शासन विभाग में अंतिम रूप से निस्तारण करते हुये यह माना है कि यदि विभाग द्वारा कर्मचारी/अधिकारी को अंतिम रूप से 16 सीसीए का आरोप पत्र दिये जाने का निर्णय नहीं लिया जाता है तो उस आधार पर कर्मचारी/अधिकारी को निलंबित किया जाना अनुचित व अवैध है और वर्तमान मामले में यह भी अंकन नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को 16 सीसीए का आरोप पत्र दिये जाने का निर्णय नहीं लिया गया और न ही जांच प्रस्तावित होना उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार ऐसे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा योगेश आचार्य एवं राम कुमार वाले मामलो में अंतिम रूप से निर्णय पारित करते हुये अपील स्वीकार करते हुये निलंबन आलोच्य आदेशों को अपास्त किया है और इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में भी जारी किया गया आलोच्य आदेश उक्त मामले के समान है, जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

4. यह है कि कार्मिक विभाग का परिपत्र दिनांक 10.01.2001 जिसमें उल्लेखित है कि जो अधिकारी निलंबन आदेश जारी कर रहा है, उसे स्वयं को पूर्ण रूप से इस बात के लिये संतुष्ट होना होगा कि उसने संबंधित प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर लिया है और व्यक्तिगत रूप से इस बात से संतुष्ट है कि उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ में निलंबन आदेश जारी किया जाना औचित्यपूर्ण है। वर्तमान मामले में जिस पर अनुशंषा प्राप्त होने पर उसी दिनांक को आदेश पारित किया गया है, इससे स्पष्ट है कि आदेश जारी कर्ता ने न तो तथ्यों की जानकारी की और न ही स्वयं का विवेक इस्तेमाल किया और प्राप्त अनुशंषा के आधार पर ही आदेश जारी किया है, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील संख्या 2491/2024 में अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.08.2024 में पुनर्विचार करते हुये अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 25.06.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

हमनें प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों/आधारों के संबंध में प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :–

1. अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी को निलंबित किया जाना :–

जहां तक विशिष्ट शासन सचिव के पत्र दिनांक 25.06.2024 की अनुपालना में प्रार्थी/अपीलार्थी को मंडल के आदेश दिनांक 25.06.2024 के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील का लिखित जवाब में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि विशिष्ट शासन सचिव के पत्र दिनांक 25.06.2024 द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को निलंबित करने के आदेश जारी करने एवं विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित किये जाने हेतु पत्र लिखा गया, जिसकी अनुपालना में प्रार्थी/अपीलार्थी को उसी दिन मण्डल के आदेश दिनांक 25.06.2024 द्वारा निलंबित किया गया। इससे स्पष्ट है कि

प्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त आदेश की अनुपालना में/अभिशंषा के आधार पर निलंबित किया गया है। जबकि इस प्रकार के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9361/2023 राम कुमार बनाम राज्य व अन्य में आलोच्य आदेश दिनांक 06.06.2023 जिसमें सक्षम अधिकारी द्वारा बिना विवेक का प्रयोग किये किसी अन्य अधिकारी के आदेश की अनुपालना में उक्त निलंबन आदेश को उचित नहीं मानते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 25.07.2023 को पारित किया है। इसी प्रकार राज्य सरकार के कार्मिक विभाग क–3 के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.01.2001 जिसमें निम्नलिखित स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है :–

> *"Before placing any person under suspension, the competent authority should personally study the facts and circumstances of the case and satisfy himself/herself that in the facts and circumstances of the case a prima facie case is made out for initiating disciplinary action under Rule 16 of the CCA Rules and that the gravity of the charge is such that if proved, it will most probably lead to his removal or dismissal from service. The competent authority should pass a speaking order stating that he/she has personally examined the facts and circumstances of the case and that he/she is personally satisfied that suspension is justified in the facts and circumstances of the case."*

स्पष्ट है कि आलोच्य निलंबन आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुपालना में जारी हुआ है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग का अभाव पाया जाता है।

2. प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध नियम 16 सीसीए के अंतर्गत जांच प्रस्तावित होने से पूर्व निलंबित किया जाना :–

जहां तक अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध 16 सीसीए के अंतर्गत जांच प्रस्तावित होने से पूर्व निलंबित किये जाने का प्रश्न है, अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब में यह कही पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध नियम 16 सीसीए के अंतर्गत जांच प्रस्तावित है और न ही

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत जांच प्रस्तावित किये जाने का अंतिम निर्णय लिया गया है। जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी को 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है, उसके उपरांत भी उसके विरूद्ध नियम 16 सीसीए के अंतर्गत जांच प्रस्तावित होने का अथवा जांच प्रारंभ किये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे मत में प्रार्थी/अपीलार्थी को जांच संबंधी निर्णय के अभाव में अकारण लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

3. आरोप पत्र दिये जाने से पूर्व ही एवं 90 दिवस से अधिक होने के बावजूद आरोप पत्र नहीं दिया जाना :–

जहां तक प्रार्थी/अपीलार्थी को आरोप पत्र दिये जाने से पूर्व ही अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया जा चुका है और न ही नियम 16 सीसीए के अंतर्गत जांच प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी/अपीलार्थी को निलंबित हुये 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.01.2001 जिसमें यह स्पष्ट उल्लेखित है कि निलंबन किये जाने के बाद/करते समय आरोप पत्र दिया जाना भी आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश स्पष्ट हैं :–

> *"Contratry to normal belief suspension is a very harsh step and except in rare cases, suspension should not be resorted to except after chargesheet has been served upon the concerned officer and to the extent possible after giving an opportunity to the concerned officer to state his case with respect to the charges against him. However, it has been observed in these cases that after an officer has been placed under suspension, the charge sheet is not served upon the officer concerned for several months continues to remain under suspension. This is a matter of concern and it is enjoined upon all concerned to ensure that such situation is avoided at all costs. Once an officer has been placed under suspension, it is the duty of the concerned authority to ensure that the charge sheet is served upon him without any*

> *delay. It is expected that normally the charge sheet should be served upon the concerned officer within a period of two months from the date of suspension. In future all concerned should ensure that charge sheet is served upon suspended officer within a period of two months from the date of suspension."*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 जिसमें निलंबन के तीन माह पूर्ण होने पर आरोप पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

> *"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence. We think this will adequately safeguard the universally recognized principle of human dignity and the right to a speedy trial and shall also preserve the interest of the Government in the prosecution. We recognize that previous Constitution Benches have been reluctant to quash proceedings on the grounds of delay, and to set time limits to their duration. However, the imposition of a limit on the period of suspension has not been discussed in prior case law, and would not be contrary to the interests of justice. Furthermore, the direction of the Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us."*

उपरोक्त परिपत्र एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में न रखते हुये अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य निलंबन आदेश विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है।

उपर्युक्त बिंदुओं पर विवेचन उपरांत प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 25.06.2024 उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में न रखते हुये तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 10.01.2001 के निर्देशों की अक्षरक्षः पालना न करते हुये उक्त आलोच्य निलंबन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना स्वविवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है, जो विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 को संशोधित किया जाकर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 25.06.2024 को अपास्त किया जाता है एवं अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग प्रार्थी/अपीलार्थी के पदस्थापन हेतु स्वतंत्र है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य